कार्यालय जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड

दूरभाष/फैक्स – 05964–225286 ई–मेल – dj-pit-ua@nic.in

संख्या 762 /चौदह–01–2019 पिथौरागढ़ दिनांक मई 21, 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन न्याय अनुभाग–1 के पत्र संख्या–05–नो-I/XXXVI-A-1/2025-05 नो-I /2015, दिनांकित 13 फरवरी 2025 सपठित पत्र संख्या–26–नो0आई0/XXXVI-A-1/2025-05 नो0आई0/2015, दिनांकित 19 मई 2025 (छाया प्रतियां संलग्न) के अनुक्रम में **तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़** में श्री रुद्र सिंह पण्डा, नोटरी/अधिवक्ता के नोटरी प्रैक्टिस प्रमाण–पत्र की विधि मान्यता अवधि दिनांक 20–05–2025 को समाप्त होने के उपरान्त नोटरी के एक पद पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित तहसील में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण, जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 3 के अनुसार अर्हता रखतें हों, से उक्त नियमावली के नियम 4 के उपनियम 2 एवं 3 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार **दिनांक 16–06–2025** तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

नोटरी नियमावली, 1956 का नियम–3:

3. Qualifications for appointment as a notary. - No person shall be eligible for appointment as a notary unless on the date of the application for such appointment-

(a) a person had been practicing at least for ten years, or

(aa) a person belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes and other backward classes had been practicing at least for seven years, or

(ab) a woman who had been practicing at least for seven years, as a legal practitioner, or

(ac) a person with benchmark disability as defined in clause (r) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), who has been practicing for at least seven years, as legal practitioner;

(b) he had been a member of the Indian Legal Services under the Central Government, or

(c) he had been at least for ten years,-

(i) a member of Judicial Service; or

(ii) held an office under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate; or

(iii) held an office in the department of Judge Advocate General or in the legal department of the armed forces.

नोटरी नियमावली, 1956 का नियम–4:

4. Application for appointment as a notary.-

(1) A person may make an application for appointment as a notary (hereinafter called "the applicant"), through the concerned District Judge or the Presiding Officer of the Court or Tribunal where he practices as an Advocate, in the Form of memorial addressed to such officer or authority (hereinafter referred to as the "competent authority") of the appropriate Government as that Government may, by notification in the Official Gazette, designate in this behalf.

(2) The memorial shall be drawn by a person referred to in clause (a) of rule 3 in accordance with Form I and by a person referred to in clauses (b) and (c) of the said rule in accordance with Form II.

"2A. A person applying in Form II for appointment as a notary may submit the memorial direct to the Competent Authority of the Appropriate Government."

(3) The memorial of a person referred to in clause (a) of rule 3 shall be signed by the applicant and shall be countersigned by the following persons:

(a) a Magistrate;

(b) a Manager of a nationalised bank;

(c) a merchant; and

(d) two prominent inhabitants of the local area within which the applicant intends to practice as a notary.

आवेदन पत्र के प्रारूप संलग्न हैं।

आवेदन पत्र में अंकित जन्म तिथि, शैक्षिक एवं अन्य अर्हताओं के सुसंगत अभिलखों यथा हाईस्कूल प्रमाण–पत्र, स्नातक एवं विधि स्नातक उपाधि तथा बार काउन्सिल में पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य होंगी।

आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त विज्ञप्ति जिला न्यायालय, पिथौरागढ़ की वेबसाईट https://pithoragarh.dcourts.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(शंकर राज)
जिला न्यायाधीश
पिथौरागढ़

पृष्ठांकन संख्या ज्ञाप/चौदह–01–2019 तद् दिनांक

प्रतिलिपिः

01. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद के समस्त उप मण्डलों एवं समस्त तहसीलों में व्यवसायरत् अधिवक्ताओं के सूचनार्थ समस्त उप जिलाधिकारी तथा समस्त तहसीलदार, जनपद पिथौरागढ़ को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

02. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संस्था, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ।

03. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसियेशन, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ को सूचनार्थ।

04. जिला सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़ को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

05. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, पिथौरागढ़।

06. नोटिस बोर्ड, न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), डीडीहाट, गंगोलीहाट, धारचूला, जिला पिथौरागढ़।

07. आधिकारिक वेबसाईट, जिला न्यायालय, पिथौरागढ़।

आज्ञा से

(गिरिजा शंकर सिंह)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जिला न्यायालय, पिथौरागढ

संख्या–05 नो–I/XXXVI-A-1/2025-05 नो–I/2015

DEPTT. NO GUARD FILE
FILE NO. BOOK - III
SL NO. 61 - 35/2025
DATE OF RECEIPT 18.02.2025
CLOSED ON ---

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 13 फरवरी, 2025

विषय– श्री रूद्रसिंह पाण्डा, नोटरी/अधिवक्ता, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ के नोटरी प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–30 चौदह–01–2019, दिनांक 04.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **श्री रूद्रसिंह पाण्डा, नोटरी/अधिवक्ता, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़** के नोटरी प्रैक्टिस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण दिनांक 21.05.2025 से अग्रेत्तर 05 वर्ष के लिए किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– तत्क्रम में अवगत कराना है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे नोटरी अधिवक्ता, जिन्हें नोटरी व्यवसाय में 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, नये योग्य ऊर्जावान व्यक्ति को अवसर दिये जाने के दृष्टिगत पुनः आवेदन के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, नोटरी प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण प्रस्ताव को अस्वीकार कर नया पैनल मंगाये जाने की नीति निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के आलोक में, शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त **श्री रूद्रसिंह पाण्डा, नोटरी/अधिवक्ता** को नोटरी व्यवसाय में 10 वर्ष से अधिक का समय होने के कारण उनके नोटरी प्रैक्टिस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न करते हुए नोटरी प्रैक्टिस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवधि दिनांक 20.05.2025 को समाप्त होने के उपरान्त, नोटरी के उक्त पद पर नियुक्ति हेतु नया पैनल मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उक्त अधिवक्ता के नोटरी प्रैक्टिस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवधि दिनांक 20.05.2025 को समाप्त होने के उपरान्त,** नोटरी के उक्त पद पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित तहसील में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण, जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 3 के अनुसार अर्हता रखते हों, से आवेदन प्राप्त कर उक्त नियमावली के नियम 4 के उपनियम (2) एवं (3) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए, प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर, **पूर्ण आवेदन पत्रों को ही** नये पैनल के माध्यम से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– इसके साथ ही उक्त अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराये अभिलेख **(स्टाम्प/ट्रेजरी चालान)** मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया उक्त अभिलेख सम्बन्धित अधिवक्ता को हस्तगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

SEEN.
ADMN. OFFICE TO DO NEEDFUL.
(SHANKER RAJ)
DISTRICT JUDGE
PITHORAGARH
13.02.2025

भवदीय,
(प्रदीप पन्त) 13.02.2025
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/XXXVI-A-1/2025-05 नो–I/2015, तददिनांकित।

1– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

2– सचिव, अधिवक्ता बार एसोसियेशन, न्यायालय परिसर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।

3– सम्बन्धित अधिवक्ता।
4– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(रजनी शुक्ला)
अपर सचिव।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़

संख्या ज्ञाप/चौदह–01–2019 पिथौरागढ़ दिनांकित फरवरी 19, 2025

प्रतिलिपिः

01. श्री रुद्र सिंह पण्डा, नोटरी/अधिवक्ता, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल स्टाम्प पेपर/ट्रेजरी चालान के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

02. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से

19/02/25

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जिला न्यायालय, पिथौरागढ़

अनुस्मारक

संख्या– 26 /नो0आई0/XXXVI-A-1/2025–05 नो0आई0/2015

प्रेषक,

राजेश कुमार,
संयुक्त सचिव, न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

DEPTT. NO
FILE NO.
SL NO.
DATE OF RECEIPT
CLOSED ON

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
पिथौरागढ।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक 19 मई, 2025

विषय– जिला पिथौरागढ की तहसील मुनस्यारी में रिक्त एक नोटरी पद पर नियुक्ति हेतु पैनल के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त शासन के पत्र सं0–05 नो0–I/XXXVI-A-1/2025-05 नो0–I/2015 दिनांक 13.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला पिथौरागढ की तहसील मुनस्यारी में नियुक्त नोटरी श्री रूद्र सिंह पाण्डा के नोटरी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न होने के दृष्टिगत उक्त रिक्त नोटरी पद पर नियुक्ति हेतु पैनल मांगा गया है, परन्तु आतिथि उक्त पैनल शासन में अप्राप्त है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिला पिथौरागढ की तहसील मुनस्यारी में रिक्त हुए एक नोटरी पद पर में नियुक्ति हेतु अधिवक्ताओं का पैनल यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

SEEN.
ADMIN. OFFICE
TO DO NEEDFUL.

(SHANKER RAJ)
DISTRICT JUDGE
PITHORAGARH
20.05.2025

भवदीय,

19.5.25
(राजेश कुमार)
संयुक्त सचिव

d:\office data\bhagwan folder ur 2025\notary matters2025\notary letter 2025.docx

FORM I

MEMORIAL
{Rule 4 (2)}

PHOTOGRAPH

----

1. Name of the applicant:______________________________
2. Father's/Husband's name:______________________________
3. Date of Birth:______________________________
4. Whether SC/ST/OBC/General:______________________________
5. Address(Residence):______________________________

   ______________________________Pin____________

   Telephone:____________Fax:__________E-Mail__________

   Address (Office):______________________________

   ______________________________Pin:____________

   Telephone:____________Fax:__________E-Mail:__________

6. Educational qualifications (Please attach attested photocopies):_______

7. Enrolment No. and date (Please attach attested photocopies):__________
8. Practising in:______________________________

   Civil side:____________________

   Criminal side:____________________

   Taxation:____________________

   Revenue courts:____________________

9. Whether income tax assessee:______________________________

10. The memorial of (name of the applicant in block letters) showeth:_______

1. that the memorialist is a person eligible for appointment as notary under the notaries Act, 1952 and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956;

2. that the memorialist resides in ____________(here state the name of the local area or name of court where he intends to practise) and will reside for upwards of________________(state how long);

3. that the number of notaries in the local area is insufficient for the requirements thereof(the grounds of the statement should be added):____.

4. that no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six-months.

The memorialist, therefore, prays that the government be pleased to appoint and admit him as a notary under and by virtue of the notaries Act, 1952(53 of 1952) and clause (a) of the rule (3) of the Notaries Rules, 1956 to practice in ________________________(here state the name of the local area).

Date:________day of ________ Signature of the Applicant

Sl.No.	Name and address of Organisation	Profession	Name and address of the firm/Orgn.	Signature (with seal)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Note: (Under rule 4 (3) the memorial should be countersigned by a Judicial Magistrate, a Manager of a Nationalized Bank, a Merchant and two prominent inhabitants of the area where he intends as a notary)

(FORM II)
(Rule 4(2))

PHOTOGRAPH

1.Name________________________

2.Father's/Husbandó name ________________________

3.Date of birth ________________________

4.Whether SC/ST/OBC/General________________________

5.Address(Residence)________________________

PIN____________

Telephone____________Fax__________E-mail____________

Address(office)________________________

____________ PIN ________________________

Telephone ____________ Fax ____________ E-mail ____________

6. Educational qualifications________________________

7. Date of joining government service ________________________

8. Date of retirement________________________

9. Post held at the time of retirement________________________

10. Area where the memorialist intends to practice as Notary ________________________

Signature of the applicant

Dated__________ day of __________ 20__________